भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या *161

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

केरल में बाढ़ नियंत्रण

***161. एडवोकेट के. फ्रांसिस जॉर्ज:**

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल के वर्षों के दौरान केरल में मानसून में बार-बार बाढ़ आने और इसकी तीव्रता में वृद्धि तथा कोट्टायम जैसे जिलों में इससे होने वाली क्षति का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो मौजूदा बाढ़ नियंत्रण अवसंरचना में पाई गई मुख्य कमियों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान केरल में नदी तटबंधों, जल निकासी प्रणालियों और बाढ़ प्रबंधन अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए कोई विशिष्ट केन्द्रीय परियोजनाएं अथवा वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो किए गए वित्तीय आवंटन सहित इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जल शक्ति मंत्री

(श्री सी आर पाटील)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

'केरल में बाढ़ नियंत्रण' के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *161 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

(क) से (घ): हाल के वर्षों में, केरल मानसून की बाढ़ की अलग-अलग तीव्रता श्रेणी का सामना कर रहा है। केरल सरकार ने सूचित किया है कि कोट्टायम जिले के पश्चिमी निचले इलाकों में विशेष रूप से कुमारकोम, थिरुवरप्प और अयमानम ग्राम पंचायतों में अक्सर बाढ़ देखी जाती है। कोट्टायम जिले के पूर्वी हिस्से में वर्ष 2018-2021 के दौरान भारी वर्षा के कारण हुए भूस्खलन और इस क्षेत्र में नदियों के अवसाद जमा होने के कारण बाढ़ आई थी। हाल के वर्षों में बाढ़ कोट्टायम जिले से बहने वाली मीनाचिल, मुवट्टुपुझा और मणिमाला नदियों के कारण आई है।

वर्ष 1986 से 2022 तक के उपग्रह इमेजरी डेटा के आधार पर "भारत (2024) में बाढ़ के कारण प्रभावित क्षेत्र का आकलन" पर केंद्रीय जल आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, केरल में, कुल बाढ़ प्रभावित क्षेत्र 0.253 मिलियन हेक्टेयर आंका गया है और केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा बाढ़ प्रबंधन के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के माध्यम से संरक्षित क्षेत्र 0.346 मिलियन हेक्टेयर है।

बाढ़ से हुए नुकसान का जिला-वार डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखा जाता है, तथापि, संबंधित राज्यों से प्राप्त जानकारी के आधार पर केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान का राज्य-वार डेटा संकलित किया जाता है। पिछले 5 वर्षों अर्थात् वर्ष 2018 से 2022 तक केरल से संबंधित बाढ़ से हुए नुकसान के आंकड़े **अनुलग्नक** में दिए गए हैं।

बाढ़ प्रबंधन और कटाव-रोधी योजनाएं संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उनकी प्राथमिकता के अनुसार तैयार और कार्यान्वित की जाती हैं। केंद्र सरकार गंभीर क्षेत्रों में बाढ़ के प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और प्रोत्साहन वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने हेतु XIवीं और XIIवीं योजना के दौरान बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के घटक के रूप में जारी है। केरल में XIवीं योजना के दौरान 279.74 करोड़ रुपये की लागत वाली 4 बाढ़ प्रबंधन योजनाओं को केंद्र प्रायोजित योजना एफएमपी/एफएमबीएपी के अंतर्गत शामिल किया गया। अब तक, इन 4 योजनाओं के लिए 137.95 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता राशि जारी की जा चुकी है।

बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) चिन्हित स्थानों पर संबंधित राज्य सरकारों को 24 घंटे तक के अग्रिम समय के साथ अल्पकालिक बाढ़

पूर्वानुमान जारी करता है। स्थानीय अधिकारियों को लोगों को निकालने की योजना बनाने और अन्य उपचारात्मक उपाय करने के लिए अधिक समय प्रदान करने हेतु, केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) ने चिन्हित बाढ़ पूर्वानुमान और अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशनों पर 7 दिन की अग्रिम बाढ़ पूर्वानुमान चेतावनी के लिए वर्षा-रनऑफ गणितीय मॉडलिंग पर आधारित बेसिन-वार बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया है। केंद्रीय जल आयोग केरल में 06 बाढ़ पूर्वानुमान स्टेशनों का रखरखाव करता है, जिसमें 4 स्तरीय पूर्वानुमान स्टेशन (नीलेश्वरम, कुंबिडी, मलक्कारा और मुथानकेरा) और 02 अंतर्वाह पूर्वानुमान स्टेशन (इडुक्की जलाशय और इदमलयार जलाशय) शामिल हैं।

आपदा प्रबंधन का प्राथमिक उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकार का होता है। केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रयासों में सहायता करती है और अपेक्षित लॉजिस्टिक और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। राज्य सरकार वर्षा और बाढ़ सहित 12 अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए नुकसान का आकलन करती है और भारत सरकार के अनुमोदित मानदंडों के अनुसार पहले से ही उनके निपटान में रखे गए राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से राहत सहायता प्रदान करती है। 'गंभीर प्रकृति' की आपदा के मामले में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल (आईएमसीटी) की विजिट के आधार पर आकलन शामिल होता है। इसके अलावा, वर्ष 2020-21 से 2024-25 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा जारी एसडीआरएफ का केंद्रीय शेयर निम्नानुसार है:

क्र. सं.	वर्ष	गृह मंत्रालय द्वारा एसडीआरएफ के अंतर्गत जारी निधि (करोड़ रूपये में)
1	2020-21	251.20
2.	2021-22	251.20
3.	2022-23	264.00
4.	2023-24	277.60
5.	2024-25	291.20
	कुल	**1335.20**

*****

अनुलग्नक

"केरल में बाढ़ नियंत्रण" के संबंध में दिनांक 31.07.2025 को लोक सभा में उत्तर के लिए देय तारांकित प्रश्न सं. *161 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

वर्ष 2018 से 2022 के दौरान बाढ़ से हुए नुकसान का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	प्रभावित क्षेत्र (मि.हे.में)	प्रभावित जनसंख्या (मि.में)	फसलों को नुकसान		मकानों को नुकसान		मरे हुए मवेशियों की संख्या	मरे हुए लोगों की संख्या	जन सुविधाओं को हुए नुकसान (करोड़ रूपये में)	फसलों, मकानों और जन सुविधाओ को हुए कुल नुकसान (करोड़ रूपये में)
				क्षेत्रफल (मि. हे. में)	मूल्य (करोड़ रुपये में)	संख्या	मूल्य (करोड़ रूपये में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2018	3.15	5.41	0.09	168.48	324386	998.13	47953	450	2154.15	3320.76
2	2019	0.01	0.11	0.01		16543		11338	301		
3	2020	0.01	0.11	0.01		14016	0.00	2	14	0.00	0.00
4	2021	0.59	0.04	0.19	9256.30	9771	एनआर	एनआर	131	एनआर	9256.30
5	2022		0.15	0.11		2216		161	109		

एनआर: सूचना नहीं दी गई।

*****